लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3941

19 दिसम्बर, 2011 को उत्तर के लिए

विस्थापित लोगों का पुनर्वास

3941. श्री कामेश्वर बैठा:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन लोगों को समुचित क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए कोई नीति बनाई है जिनकी भूमि बोकारो इस्पात संयंत्र सहित विभिन्न सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए अधिग्रहीत भूमि के कारण कितने परिवार विस्थापित हुए;

(घ) विस्थापित परिवारों में से कितने लोगों को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) द्वारा रोजगार प्रदान किया गया है तथा ऐसे मामले कितने हैं जो संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हैं; और

(ड.) सेल द्वारा इसकी विभिन्न परियोजनाओं के लिए विस्थापित परिवार के प्रतिनिधियों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

इस्पात मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा

(क) और (ख:) सरकार ने सार्वजनकि क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कोई पृथक नीति नहीं बनाई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इस्पात संयंत्रों की स्थापना किए जाने हेतु भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार मुआवजा दिया जाता है।

(ग): बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) और टाउनशिप की स्थापना हेतु भूमि का अधिग्रहण तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा विभिन्न अधिसूचनाओं के जरिए किया गया था। वर्ष 1972 के दौरान बीएसएल की स्थापना के समय विस्थापित परिवारों की संख्या 6019 थी। तथापि, परिवारों में विभाजन के कारण निदेशक, परियोजना भूमि एवं पुनर्वास ने विस्थापित परिवारों की संख्या में वृद्धि कर दी थी और दिनांक 31.5.1988 की स्थितिनुसार विस्थापित परिवारों की संख्या 13309 थी।

(घ) और (ड.): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने भिलाई, राउरकेला, बोकारो, सेलम स्थित अपने इस्पात संयंत्रों तथा कुटेश्वर लाईम स्टोन खानों में "विस्थापित व्यक्ति" की श्रेणी के तहत 27000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है जो कि अभिज्ञात विस्थापित परिवारों की संख्या से अधिक है। इसमें से 16000 रोजगार बीएसएल में ही दिए गए हैं जो संयंत्र की स्थापना के समय विस्थापित परिवारों की संख्या से पहले ही अधिक है। विस्थापित व्यक्तियों के रोजगार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उचित ठहराए गए दिशा-निर्देशों से विनियमित किया जा रहा है जिसके तहत अन्य बातों के समान होने पर रोजगार हेतु विस्थापित व्यक्तियों पर विचार किया जाता है और उन्हें वरीयता दी जाती है।

****